

सेवार्थें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री भगवाना पिता/पति श्री भुनीपा

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

भुनीपा उपरोक्त विरुद्ध एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री भगवाना पिता/पति.....
निवासी खिलीपा का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का नगरी के राजस्व ग्राम खिलीपा में खाला संख्या 205
कित्ता 6 रकबा 1.14 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम भगवाना दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में भगवाना उर्फ भगवरी लाल दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम भगवाना के बजाय भगवाना उर्फ भगवरी लाल दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 18/10/2025

17/10/2025

भगवरी लाल
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का नगरी

प्रमाणित

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवाना पिता/पति भुनीपा निवासी.....
खिलीपा राजस्व ग्राम खिलीपा पटवार हल्का नगरी की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में भगवाना उर्फ भगवरी लाल करवाना चाहते हैं/चाहते हैं। दोनो
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

नगरी
प० नगरी

भगवरी लाल
हस्ताक्षर भू.अ.नि. Somalpur

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ / 2025 / 07

दिनांक-4/10/2025
17


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री भगवाना पिता/पत्नि भुनीपा निवासी चिलीपा पटवार हल्का नगरी के राजस्व ग्राम चिलीपा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 205 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम भगवाना किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम भगवाना का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है भगवाना उर्फ भगवती लाल

जाति संशोधन की स्थिति में राज. कायदा अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार बस्सी
जिला चित्तौडगढ (राज.)
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/611

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का नगरी

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

अर्थात् एन.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भगवाना पिता/पत्नि भुनीपा राजस्व ग्राम चिलीपा पटवार हल्का नगरी की खाता संख्या 205 में जाति/नाम भगवाना दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवाना पिता/पत्नि भुनीपा की जाति/नाम भगवाना उर्फ भगवती लाल एन.आर.एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का नगरी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ